भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1359

दिनांक 27/07/2021/05 श्रावण,1943 (शक) को उत्तर के लिए

सुरक्षित शहर परियोजना

†1359. श्री पी.पी. चौधरी:
श्री अर्जुन लाल मीणा:
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शहर-वार और वर्ष-वार सुरक्षित शहर परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना को आठ शहरों से आगे बढ़ाने और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों सहित सभी राज्यों को कवर करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने एक सौ स्मार्ट सिटी योजना के भीतर ही सुरक्षित शहर योजना को एकीकृत करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा महिलाओं के प्रति अपराध सहित नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। तथापि, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की अनेक पहलों के भाग के रूप में, गृह मंत्रालय द्वारा 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में "निर्भया फंड स्कीम" के अंतर्गत सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इन परियोजनाओं में

महिलाओं के प्रति अपराध के हॉट-स्पॉट की पहचान करना; अवसंरचना, प्रौद्योगिकी अंगीकरण समेत विभिन्न घटकों की तैनाती करना; और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय का क्षमता निर्माण करना शामिल है। परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा राज्य स्तरीय शीर्ष समिति द्वारा नियमित रूप से की जाती है। इस मंत्रालय में विशिष्ट ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग): शहरों के अगले बैच का चयन करने के लिए मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नई परियोजनाएं मांग के आकलन और परियोजना की व्यवहार्यता पर निर्भर होंगी।

(घ) और (ङ): सुरक्षित शहर परियोजना के दिशानिर्देशों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना सहित अन्य जारी परियोजनाओं/स्कीमों को आपस में मिलाने का प्रावधान है।

******

लोक सभा अता. प्र. सं. 1359 दिनांक 27.07.2021

अनुलग्नक

सुरक्षित शहर परियोजना	**जारी की गई निधियां (करोड़ रु. में)**		
	2018-19	**2019-20**	**2020-21**
मुम्बई	87.47	56.17	शून्य
कोलकाता	47.57	8.00	शून्य
चेन्नई	169.37	71.41	शून्य
हैदराबाद	83.14	39.94	शून्य
अहमदाबाद	51.55	42.87	37.64
लखनऊ	62.89	शून्य	53.14
दिल्ली	64.67	268.60	शून्य
बेंगलुरू	167.26	शून्य	शून्य

****